# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

अपील संख्या :- 39/2020

धोलाराम पुत्र श्रवण जाति गुर्जर, निवासी ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज.

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार विराटनगर व उनवानी मुकदमा सरकार बनाम धोलाराम मुकदमा संख्या 56/2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांक19.03.2020 बाबत खसरा नम्बर 75/0.03 किस्म चरागाह वाकेग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

## निर्णय

दिनांक 13.10.20

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा मुकदमा नम्बर 56/2019 व उनवान सरकार बनाम धोलाराम एल.आर.एक्ट धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 मे पारित निर्णय 19.03.2020 के विरूद्ध अपील पेश की है। जिसमें वर्णित तथ्य अपीलान्ट द्वारा निम्मन भांति पेश किये हैं।

1. यह है कि पटवारी हल्का पूरावाला द्वारा दिनांक 11.12.18 को एक अतिक्रमण की रिपोर्ट नायब तहसीलदार विराटनगर के यहां इस आशय से पेश की गई कि ग्राम हरिकिशनपुरा स्थित चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 75 के रकबा 0.03 है0 में गैर सायल ने पक्का मकान बनाकर अतिचार किया है तथा विशेष विवरण मे अतिक्रमी को पश्चातवर्ती/अतिक्रमी बताया जिस पर नायब तहसीलदार कार्यालय से प्रार्थी के पास नोटिस जारी किये गये तथा प्रार्थी दिनांक 28.02.2020 को उपस्थित आया। इसके बाद जबाव का अवसर दिये बिना दिनांक 19.03.2020 को आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट को बेदखल वसूली के आदेश प्रदान किये हैं। उक्त निर्णय दिनांक 19.03.2020 पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।
2. यह है कि पटवारी हल्का कभी भी मौके पर नही गया तथा ना ही उसने मौके पर कभी भूमि का नाप तौल किया है ना ही पत्थरगढी की है। ना ही सीमाज्ञान कराया है ना ही मौके पर गया है मात्र कयास के आधार पर झूठी रिपोर्ट पेश की है।
3. यह है कि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। पटवारी हल्का ने बिना मौके की जांच किये गलत रिपोर्ट पेश की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट मौके की स्थिति के विपरीत है प्रार्थी का कोई कब्जा भूमि पर नही है। ना ही उसने किया है लेकिन गलत रिपोर्ट पेश की है ऐसी स्थिति में निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।
4. यह है कि प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट बनाकर उस रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी के बयानों व उसकी रिपोर्ट के आधार पर बिना मौका देखे तथा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर मौका दिये बिना निर्णय देने मे भूल की है। जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

5. यह है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.03.2020 के बाबत पूर्व में जानकारी नही थी। अपीलान्ट को निर्णय 19.03.2020 की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने अपना वकील नियुक्त कर बिना किसी देरी के अपील श्रीमान माननीय न्यायालय के यहां प्रस्तुत कर दी है। अपील पेश करने मे हुई देरी माफी के लिए अलग से प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर ब उनवान मुकदमा सरकार बनाम धोलाराम मे पारित निर्णय 19.03.2020 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपील मंजूर कर कार्यवाही ड्रॉप फरमावे।

6. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता कराई गई। रिपोर्ट समायत पाई जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट की तलबी नोटिस नियमानुसार जारी किये गये। सम्मन नोटिस बाद तामील सलग्न पत्रावली किये गये।

7. प्रकरण मे बहस सुनी गई। अपीलान्ट वकील का प्रस्तुत बहस मे कथन है कि पटवारी हल्का पूरावाला द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक अतिक्रमण की रिपोर्ट नायब तहसीलदार विराटनगर के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम हरिकिशनपुरा स्थित चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा 0.03 है0 मे गैर सायल ने पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी पश्चातवर्ती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार कार्यालय से प्रार्थी/गैर सायल के नाम से नोटिस जारी किये गये इसकी सूचना उपरान्त गैर सायल/प्रार्थी उपस्थित हुआ। इसके पश्चात अपीलान्ट/प्रार्थी को बिना सुनवाई के अवसर प्रदान किये तथा प्रकरण में जवाब के लिए अवसर प्रदान किये बिना ही मनमर्जी से दिनांक 19.03.2020 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट को बेदखली एवं पैनल्टी वसूली के आदेश पारित किये है तथा अपीलान्ट/गैर सायल को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91(3) के तहत सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। जबकि पटवारी हल्का कभी मौके पर नही गया, ना ही उक्त भूमि की कभी नाप तौल की, ना ही सीमाज्ञान व पत्थरगढी की मात्र कयास के आधार पर पटवारी हल्का ने अतिक्रमण की रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध पेश की है। उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना मौका देखे एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर ने दिनांक 19.03.2020 को उक्त निर्णय पारित किया गया है। जो न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्तनीय है। इसलिए उक्त पारित निर्णय 19.03.2020 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपील मंजूर कर अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे। प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण के सम्बन्ध मे एक शपथ पत्र भी पेश हुआ है जो पत्रावली के सलग्न है।

8. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार विराटनगर का कथन है कि अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा ग्राम हरिकिशनपुरा की चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 75 के रकबा 0.03 है0 मे गैर सायल द्वारा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी अपीलान्ट/गैर सायल पश्चातवर्ती है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर ने बेदखली व वसूली के आदेश पारित किये हैं तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण प्रमाणित होने पर सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये है। पटवारी हल्का द्वारा मौके की सही रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 19.03.2020 को निर्णय पारित किया गया है। इसलिए उक्त अपील चलने योग्य नही है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करें।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

9. उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूतों का अध्ययन कर अवलोकन किया। प्रकरण एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 अतिक्रमण बाबत है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपनी बहस में कथन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 75 वाके ग्राम हरिकिशनपुरा की चारागाह भूमि में 0.03 है0 पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर के समक्ष पेश की है जो बिना मौके पर गये, बिना पत्थरगढी व सीमाज्ञान किये कयास के आधार पर मनगढन्त झूठी रिपोर्ट तैयार की गई है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई गलत रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 19.03.2020 को बेदखली एवं पैनल्टी के तथा तीन माह की सजा के आदेश जारी किये है। जबकि उक्त आराजी पर अपीलान्ट/गैर सायल का कोई अतिक्रमण नही है। अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र अपीलान्ट गैर सायल ने पेश किया है। जबकि पेरोकार सरकार का कथन है कि पटवारी हल्का ने चारागाह भूमि पर 0.03 है. पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती पक्का निर्माण का अतिक्रमण होने पर बेदखली एवं पैनल्टी तथा सिविल कारावास की सजा के नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किये है। चुंकि प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत चारागाह भूमि पर आराजी खसरा नम्बर 75 मे से 0.03 है0 पर नाजायज रूप से पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने का है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र मे पक्का निर्माण नही होना वर्णित है। कच्चा निर्माण व डण्डा था वह भी अपीलान्ट द्वारा हटा लिया जाना शपथ पत्र द्वारा अवगत कराया है। तथा भविष्य में भी कोई अतिक्रमण नही करना शपथ पत्र मे वचनबद्व है। इसलिए नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट/गैर सायल की तीन माह की सिविल कारावास की सजा को स्थिगित करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि मौके की पुनः सीमाज्ञान करावें यदि अपीलान्ट/गैर सायल का ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर के आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा किस्म चारागाह मे अतिक्रमण पाया जावे तो प्रकरण में नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की आवश्यक कार्यवाही करे। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलान्ट /गैर सायल की मु. नं. 56/2019 व उनवान सरकार बनाम धोलाराम अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 में अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्ध सिविल कारावास की सजा को स्थगित की जाती है तथा तहसीलदार विराटनगर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम हरिकिशनपुरा की चारागाह की भूमि में अपीलान्ट की उपस्थिति में मौके पर सीमाज्ञान करावे यदि फिर भी सीमाज्ञान के पश्चात मौके पर अपीलान्ट/गैर सायल का अतिक्रमण पाया जावे तो अतिक्रमण हटाया जाकर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे। तहसीलदार विराटनगर को इस आशय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

10. यह निर्णय आज दिनांक 13.10.20 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

9. उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूतों का अध्ययन कर अवलोकन किया। प्रकरण एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 अतिक्रमण बाबत है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपनी बहस में कथन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 75 वाके ग्राम हरिकिशनपुरा की चारागाह भूमि में 0.03 है0 पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर के समक्ष पेश की है जो बिना मौके पर गये, बिना पत्थरगढी व सीमाज्ञान किये कयास के आधार पर मनगढन्त झूठी रिपोर्ट तैयार की गई है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई गलत रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 19.03.2020 को बेदखली एवं पैनल्टी के तथा तीन माह की सजा के आदेश जारी किये है। जबकि उक्त आराजी पर अपीलान्ट/गैर सायल का कोई अतिक्रमण नही है। अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र अपीलान्ट गैर सायल ने पेश किया है। जबकि पेरोकार सरकार का कथन है कि पटवारी हल्का ने चारागाह भूमि पर 0.03 है. पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती पक्का निर्माण का अतिक्रमण होने पर बेदखली एवं पैनल्टी तथा सिविल कारावास की सजा के नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किये है। चुंकि प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत चारागाह भूमि पर आराजी खसरा नम्बर 75 मे से 0.03 है0 पर नाजायज रूप से पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने का है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र मे पक्का निर्माण नही होना वर्णित है। कच्चा निर्माण व डण्डा था वह भी अपीलान्ट द्वारा हटा लिया जाना शपथ पत्र द्वारा अवगत कराया है। तथा भविष्य में भी कोई अतिक्रमण नही करना शपथ पत्र मे वचनबद्व है। इसलिए नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट/गैर सायल की तीन माह की सिविल कारावास की सजा को स्थिगित करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि मौके की पुनः सीमाज्ञान करावें यदि अपीलान्ट/गैर सायल का ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर के आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा किस्म चारागाह मे अतिक्रमण पाया जावे तो प्रकरण में नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की आवश्यक कार्यवाही करे। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलान्ट /गैर सायल की मु. नं. 56/2019 व उनवान सरकार बनाम धोलाराम अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 में अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्ध सिविल कारावास की सजा को स्थगित की जाती है तथा तहसीलदार विराटनगर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम हरिकिशनपुरा की चारागाह की भूमि में अपीलान्ट की उपस्थिति में मौके पर सीमाज्ञान करावे यदि फिर भी सीमाज्ञान के पश्चात मौके पर अपीलान्ट/गैर सायल का अतिक्रमण पाया जावे तो अतिक्रमण हटाया जाकर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे। तहसीलदार विराटनगर को इस आशय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

10. यह निर्णय आज दिनांक 13.10.20 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)